न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री बी.एल.कोठारी
आई.ए.एस.

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
श्री छोगा पुत्र गेमाजी सुथार निवासी पुनासा तहसील भीनमाल जिला जालोर		राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार भीनमाल
प्रकरण संख्या अपील		06/2018

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

.....

पक्षकारान के अभिभाषकगण:-
1-श्री सरदारखां खोखर, अभिभाषक अपीलान्ट
2-श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-23.05.2018

1. अपीलान्ट के द्वारा यह अपील तहसीलदार भीनमाल द्वारा प्रकरण संख्या 52/2017 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 शीर्षक सरकार बनाम छोगा पुत्र गीमा सुथार निवासी पुनासा तहसील में पारित आदेश दिनांक 08.12.2018 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच subject to limitationदर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

3. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा पुनासा में नये खसरा नंबर 949,950 किस्म गैर मुमकिन ढाणी,चाही दोयम जाव सोयम रकबा 0.2, 2.07 हेक्टेयर आया हुआ है।इन खसरा नंबरान के पुराना खसरा नंबर 1643 मी. है। अपीलांट भूमिहीन है व पीढी दर पीढी परिवार सहित ढाणी में रहता आ रहा है। और इस भूमि के अलावा रहने अथवा खेती के लिये कोई जमीन नहीं है। प्रथम सेटलमेन्ट 2008 में इस आराजी पर अपीलांट के पिता का कब्जा काश्त व रहवास था।सेटलमेन्ट के पूर्व कब्जा काश्त अपीलांट का पुश्तैनी रहा है। जिसमें गेमा पुत्र हटा ,का नाम दर्ज रहा है।वर्ष 1980 में नायब तहसीलदार द्वारा प्रार्थी के नाम नियमन करने की सिफारीश की गई।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया ना ही कोई जांच की गई। अपीलांट द्वारा सहायक कलेक्टर भीनमाल के समक्ष राजस्व वाद संख्या 103/1997 छोगा वगैराह बनाम सरकार के अनवान का पेश किया गया था। जिसका निर्णय दिनांक 29.12.2006 को अपीलांट के हक में होकर हुआ।जिसमें सहायक कलेक्टर भीनमाल द्वारा आदेश में निर्देश दिये गये कि तीन माह के अन्दर आंवटन/नियमन की बैठक आहुत की जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावे।परंतु राजस्व न्यायालय के आदेश के निष्पादन अभी तक नहीं किया गया। जिससे अपीलांट आज तक भूमिहीन ही है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने यह सबूत रेकर्ड पर नही लिया। इस प्रकार अपीलांट के खिलाफ अपीलाधीन निर्णय की तमाम कार्यवाही कानून एवं नेचुरल जस्टिस के विपरित है।

अपीलांट के खिलाफ निर्णय दिनांक 08.12.2017 को उसकी उपस्थिति के बिना ही उसकी शहादत और सबूत पेश नहीं करने का आदेश नहीं देकर सीधा निर्णय पारित कर दिया गया। जबकि अपीलांट द्वारा दिनांक 10.11.2017 को अपना जबाब दिया गया और उसके बाद दस्तावेजो सबूत व साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समय प्राप्त किया गया था और आगामी पेशी दिनांक 13.11.2017 को बुलाया था। उस दिन पेशी नहीं हुई और पेशी की जानकारी नहीं होने पर नकल मांगी और नकल दिनांक 11.01.2018 को प्राप्त हुई। जबकि निर्णय की तारीख दिनांक 08. 12.2017 को लिखी गई है। सम्पूर्ण पत्रावली को देखने से ही जाहिर

होता है कि यह कार्यवाही अपीलांट को बिना सुने ही पेशी के पूर्व कर दी और निर्णय दिनांक 08.12.2017 की जानकारी अपीलांट को नहीं दी गयी। दिनांक 11.01.2018 को नकल अपीलांट को प्राप्त हुई। दिनांक 11.01.2018 के पहले अपीलांट को दिनांक 08.12.2017 के निर्णय की जानकारी नहीं थी। इस प्रकार ज्ञान की तारीख नकल मिलने की दिनांक से अपील अन्दर म्याद की जावे।उपरोक्त आराजी बाबत सहायक कलेक्टर भीनमाल के दावा में अपीलांट छोगा के अलावा उसके भाई हिमता पुत्र गेमाजी और उनकी माता लालु बेवा गेमाजी भी पक्षकार थे और उनको अधीनस्थ अदालत द्वारा ना ही उनको नोटिस दिया गया ना ही उनकी सुनवाई हुई।इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अकेले अपीलांट के खिलाफ कार्यवाही की जाकर आरोपित जुर्माना एवं बेदखली का आदेश कानून की मंशा के विपरीत है।

अत: अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय को निरस्त किया जावे व राजस्व वाद संख्या 103/1997 के निर्णय और डिक्री की पालना हेतु भिजवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही करने का आदेश प्रदान करावे।

4. सरकारी अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को मौजा पुनासा के गैर मुमकिन ढाणी,चाही सोयम,जाव की भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित कर वादग्रस्त आराजी पर से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिए जाकर अतिक्रमित क्षेत्र के लगान का 50 गुणा 50/-रूपए बतौर जुर्माना आरोपित किया गया व बेदखली के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया हैं जो विधिवत हैं। अत: अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद सुनवाई के अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। हम राजकीय अधिवक्ता की राय से सहमत है। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को मौजा पुनासा के खसरा नंबर 949,950 रकबा क्रमश: 0.02, 2.07 कुल रकबा 2.09 किस्म क्रमश: गैर मुमकिन ढाणी, चाही सोयम, जाव की भूमि पर अतिक्रमण करने पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित कर वादग्रस्त आराजी पर से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिए जाकर अतिक्रमित क्षेत्र के लगान का 50 गुणा 50/-रूपए बतौर जुर्माना आरोपित किया गया तथा बेदखल करने का आदेश पारित किया है। जो विधीवत है।

6. उपरोक्त विवेचन के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नही है। फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है।

सही

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 23.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सही

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर